कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल (म.प्र.)

–::– निविदा आमंत्रण सूचना –::–

कमांक 3773 **/ चार–03–01 / 2019** **शहडोल, दिनांक** ..04 **/ 11 / 2026**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल(म.प्र.) के उपयोग हेतु **यू.पी.एस. बैटरी, बायबैक(BuyBack) सुविधा अंतर्गत** निविदा दस्तावेज में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत कय किये जाने हेतु अनुभवी एवं प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से निविदा आमंत्रित की जाना है।

उक्त निविदा संबंधी विस्तृत दस्तावेज एवं निविदा के नियम एवं शर्तें मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की वेबसाईट **www.mphc.gov.in** एवं जिला न्यायालय शहडोल की वेबसाईट **https://shahdol.dcourts.gov.in/notice-category/tenders/** पर उपलब्ध है।

कमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
01	निविदा प्रकाशन की तिथि	05.11.2026
02	निविदा की अंतिम तिथि एवं समय	27.11.2026 समय 17:00
03	निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	28.11.2026 समय 10:30

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल (म.प्र.)

–:: परिशिष्ट–ए ::–
सामग्री

कमांक	विवरण	संख्या
UPS Battery- Amaron, Excide and any other reputed Brand		
01	UPS Battery **12V - 7AH**	98
02	UPS Battery **12V - 26AH**	11

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल (म.प्र.)

–:: परिशिष्ट–बी ::–

तकनीकी बिड में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

कमांक	दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
01	दुकान स्थापना अधिनियम के तहत् प्रमाण–पत्र	–
02	पेन कार्ड	–
03	आयकर विवरणी	–
04	जी.एस.टी. पंजीयन	–
05	संबंधित बैटरी का अधिकृत डीलर प्रमाण–पत्र	–

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शहडोल (म.प्र.)

–:: परिशिष्ट–सी ::–

QUOTATION PROFORMA

1. Name of Vendor/Firm
2. Address.....
3. Contact Number.....
4. GST Registration.....
5. PAN Number.....

Sr. No.	Battery Brand	Specification	Warranty	Per Unit Rate with GST	Buy back Value	Per Unit Rate after Buyback
01		12V-7AH				
02		12V-26AH				

(Authorized Signatory)

कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल (म.प्र.)

–::– निविदा शर्तें –::–

01– निविदा दो अलग–अलग बंद लिफाफा में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल के नाम से **दिनांक 26.11.2026 की सांय 05:00 बजे** तक ही प्राप्त की जावेगी। उक्त निविदा **दिनांक 27.11.2026 को सांय 10:30** बजे जिला न्यायालय में गठित क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।

02– इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव दो–निविदा प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।

अ– प्रथम भाग में तकनीकी निविदा होगी। निविदा से संबंधित दस्तावेज अलग लिफाफा में जमा किया जाना अनिवार्य है।

ब– द्वितीय भाग में व्यवसायिक/वित्तीय निविदा फार्म होगा जिसमें दर + GST प्रति नग दर (कर सहित) परिशिष्ट–सी में अलग लिफाफा में जमा किया जाना अनिवार्य है।

03– निविदा पृथक–पृथक दो बंद लिफाफा में प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसमें एक लिफाफा में परिशिष्ट–बी अनुसार चाहे गये दस्तावेज अर्थात तकनीकी निविदा एवं दूसरे लिफाफा में परिशिष्ट–सी अनुसार वित्तीय निविदा प्रस्तुत किया जाना होगा।

04– कोई भी निविदा बिना कारण बताये पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को होगा।

05– यदि फर्म, निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति नहीं कर पाती है तथा प्रदायावधि में विस्तार के लिए अनुरोध भी नहीं करती है, तो बिना कारण बताये सक्षम अधिकारी द्वारा क्रय आदेश निरस्त किया जा सकता है।

06– क्रय आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर फर्म को सामग्री सप्लाई किया जाकर देयक की मूल प्रति मय सील एवं हस्ताक्षर के दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। सामग्री संबंधित स्थान तक पहुॅचाये जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।

07– क्रय की गयी सामग्री की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन जिला मुख्यालय शहडोल एवं तहसील न्यायालय जयसिंहनगर तथा श्रृंख्ला न्यायालय जैतपुर में जाकर संबंधित संस्था द्वारा किया जाएगा।

08– सामग्री प्राप्त होने से इंस्टालेशन के उपरांत ही बिल ग्राहय किया जावेगा।

09– क्रय की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने पर ही देयक के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा क्रय की गई सामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।

10– नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा।

11– निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज में मांगी गयी समस्त जानकारी स्पष्ट रूप से भरा जाना एवं निविदा दस्तावेज में किसी प्रकार की कांट–छांट मान्य नहीं होगी। निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील होना आवश्यक है।

12– शासन द्वारा लागू जी.एस.टी. की दरें अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा एवं सामग्री की दरें समस्त करों सहित दी जावेंगी।

13– प्रत्येक निविदाकर्ता को एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, जिसे वह व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी संयुक्त फर्म के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक पक्षकार द्वारा एक से अधिक प्रस्ताव करने पर विचार नहीं किया जावेगा।

14– जो फर्म मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत प्रदायकर्ता के रूप में पंजीकृत है, उन्हें पंजीयन संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

15– फर्म को निविदा प्रस्तुत करते समय इस आशय का घोषणा–पत्र देना अनिवार्य होगा कि सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु शासन द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया है।

16– निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु सहायक लेखापाल जिला न्यायालय शहडोल के मोबाईल नंबर 9691876277 पर संपर्क किया जा सकता है।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शहडोल (म.प्र.)